तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4766/2008/राजसमंद बंशीलाल बनाम हीरालाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.1.2020	**खण्डपीठ** **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री माधवराज, अधिवक्ता अपीलांट्स श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2006 व उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.01 विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नं0 845 व 846 जिसके वर्तमान बंदोबस्त मे हाल खसरा नंबर 867 व 868 बने। साबिक खसरा नं0 845 व खसरा नं0 846 की भूमि शासनिक माफी की भूमि थी। उक्त खसरों की भूमि वादीगण के पूर्वज गोर्वधन, छगन पुत्र जयराम को रहन रख दी। इसी प्रकार मेवाड राज्य के कानून की धारा 19 के अनुसार वादीगण उक्त विवादित रकबे के खातेदार हो चुके है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखंलदाजी करते है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय दावा व जबावदावा के आधार पर 10 तनकीयात कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुये वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2001	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4766/2008/राजसमंद बंशीलाल बनाम हीरालाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23.11.01 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2006 से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.06 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी ।

योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि आराजी खसरा नं0 845 दौला उर्फ दौलतराम व रामकिशन पुत्र गुमाना जी ब्राहम्ण की शासनिक म्गी की भूमि भी जिन्होने वादीगण के पूर्वजों को उक्त भूम बिल एवज 65/– रूपये में रहन रखी। इसी प्रकार आराजी खसरा नं0 846 बलदेव, नवला, टेका पुत्र डूंगा की शासनिक माफी थी जो भी वादीगण के पूर्वजों को बिल एवज 75/– रूपये में रहन रखी थी और तब से पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का तथा वर्तमान में वादीगण का निरंतर कब्जा चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकित नहीं हुआ है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद केवल यह कहकर खारिज कर दिया कि वादीगण अपना वाद साबित नहीं कर पाये है। जबकि वादीगण का वाद मेवाड मयाद कानून की धारा 22 में 15 वर्ष की मियाद समाप्त हो जाने के कारण मेवाड राज्य कवायद माफी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4766/2008/राजसमंद बंशीलाल बनाम हीरालाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की धारा 19 के अनुसार वादीगण ने खातेदारी समाप्त होने के कारण दावा पेश किया। उक्त स्थिति में वादी का दावा डिक्री किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त आधार को लेकर ही अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांटस/वादीगण की प्रथम अपील को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि रेस्पो0 द्वारा कभी भी विवादित आराजी को रहन नहीं रखी गई थी। विवादित आराजी के रहन की बात कहकर अपीलांट/वादीगण ने विचारण न्यायालय में गलत दावा पेश किया है। अपीलांट/वादी ने दावे में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार ही नहीं बनाया है। यदि किसी तरह का रहन का इन्द्राज माना भी जाता है तो भी जब तक रहन नामें या रहन को साबित नहीं करावे तब तक रहन को साबित नहीं माना जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि यदि आराजी को एक बार रहन रखा जाात है तो वह जायदाद हमेश के लिए रहन ही मानी जाती है व उस पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में भी यह माना है कि जहां तक पक्षकरों के मध्य कच्ची लिखा–पढी का प्रश्न है उस लिखा पढी को कब्जे के सबंध में केवल द्वितीय साक्ष्य ही माना हा सकता है ऐसे दस्तावेजों से खातेदारी हक निहित नही होते है। जहां तक कानून माल मेवाड के प्रावधानों का प्रश्न है इस सबंध में वादी द्वारा कोई भी रहननामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि रहननामें को माल भी लिया जावे तो भी राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4766/2008/राजसमंद बंशीलाल बनाम हीरालाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के प्रावधानों के तहत रहनबिल एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते है। रहन सदैव रहन ही रहता है उसे प्रतिकूल कब्जा मान कर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1987 आर0आर0डी0 पेज 95, 1987 आर0आर0डी0 पेज 372, 1996 आर0बी0जे0 पेज 163, 2006 आर0आर0टी0 पेज 311, 2000 आर0आर0डी0 पेज 395, 1989 आर0आर0डी0 पेज 774, 2007 आर0बी0जे0 पेज 17 इत्यादि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया । हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली, मूल वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों को पूर्व में रहन रखने का विधिक बिन्दु निहीत है। इस सबंध में प्रचलित विधि के अनुसार रहन की अधिकतम अवधि 5 वर्ष हो सकती है उसके बाद रहन धारक का कोई हक व अधिकार इन भूमियों में नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त भूमियां मेवाड राज्य के क्षेत्र से सबंधित है। जहां भी रहन की अधिकतम मियाद उस समय 15 वर्ष की थी जिसके बाद इस प्रकरण की भूमियां स्वतः रहन मुक्त हो जाती। इस सबंध में अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट विवेचन किया है कि जहां तक कानून माल मेवाड के प्रावधानों का प्रश्न है इस सबंध में वादी द्वारा कोई भी विधिपूर्ण रहननामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि रहननामें को मान भी लिया जावे तो भी राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रहन बिल एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4766/2008/राजसमंद बंशीलाल बनाम हीरालाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाते है। रहन सदैव रहन ही रहता है उसे प्रतिकूल कब्जा मान कर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि रहननामा कब व किस तारीख को निष्पादित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमियों का दावा अंतर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा किया जाना विधि के अनुरूप नहीं है। तत्कालीन राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में वादी किसी भी श्रेणी का विधिपूर्ण खातेदार काश्तकार/ उपकाश्तकार हो प्रमाणित नहीं होता है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय पारित किये है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त आधार पर खारिज की जाती है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2006 व उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2001 यथावत रखें जाते है।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य